न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 15/2010 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :— 2010/00016

उनवान

बृजेश कुमार पुत्र स्व0 श्री कुन्दनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट/वादी।

बनाम

1. श्रीमती शारदा देवी विधवा पत्नि जवाहर उर्फ झब्बू
2. प्रदीप कुमार
3. मनोज कुमार } पुत्रान जवाहर सिंह उर्फ झब्बू जाति ब्राहम्ण नि0 मौहल्ला चौबे पाडा महादेव
4. राजीव कुमार } गली कस्बा बयाना तहसील बयाना जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखंड अधिकारी, बयाना दि0 30.03.2010 प्र.सं. 420/07 उनवानी बृजेश कुमार बनाम श्रीमती शारदा देवी।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री तालेराम उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 29.05.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी ने एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नगला सिंघाडा तहसील बयाना का अपीलाण्ट/वादी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का विवादित आराज़ी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट/वादी वहैसियत खातेदार काश्तकार न्यारानूर आज तक काबिज चला आ रहा है। परन्तु रैस्पो0/प्रतिवादीगण अनाधिकृत व अवैधानिक रूप से अपीलाण्ट/वादी की आराजी को जबरन हडपना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर रैस्पो0/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण नही कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलाण्ट विवादित आराजी मुतनाजा का न्यारानूर खातेदार काश्तकार है व रिकार्ड आफॅ राईट्स जमाबन्दी में भी उसके नाम न्यारानूर आज तक बदस्तूर खातेदारी दर्ज होती आ रही है, जो कि नकल जमाबन्दी प्रदर्श–1 से बखूबी साबित होती है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के वाद के खण्डन में ना तो कोई जवाबदेही की गई है एवं ना ही अपनी कोई मौखिक या प्रलेखीय साक्ष्य पेश की गई है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के वाद को निरस्त करने में कानूनी व तथ्यात्मक भूल की है।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट ने जवाबी बहस में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को विधि अनुरूप सही है। रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। रैस्पो0 विवादित आराजी के क्रेतागण हैं। अतः उनके विवादित आराजी में हक निहित हैं। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट का वाद, पूर्ववती वाद संख्या 209/05 उनवानी शारदा देवी बनाम बृजेश कुमार के दिनांक 01.09.2008 को 07 रूल 11 सीपीसी में खारिज होने एवं भारतीय स्टेट बैंक शाखा को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण तकनीकी आधार पर खारिज किया गया है। हम पाते हैं कि रैस्पो0 का पूर्ववती दावा 07 रूल 11 सीपीसी में खारिज होने से अपीलाण्ट के वाद पर कोई प्रभाव नहीं छोडता। क्योंकि रैस्पो0 का घोषणात्मक दावा अपीलाण्ट के विरूद्व खारिज हुआ है, जो अपीलाण्ट वादी के पक्ष को मजबूती प्रदान करता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करना चाहिए था। जहॉ तक विवादित भूमि का बैंक के पक्ष में रहन के अंकन का प्रश्न है इससे भी वर्तमान वाद के गुणावगुण पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। अपीलाण्ट ने बैंक के विरूद्व कोई अनुतोष भी नहीं चाहा है। अतः बैंक को पक्षकार मुकदमा बनाने से वाद पर कोई प्रभाव नहीं पडता। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2059–62 के खाता संख्या 114 में अंकित विवादित आराजी पर अपीलाण्ट के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने से, अपीलाण्ट के पक्ष में स्वत्व जाहिर है। रैस्पो0 ना तो मूल वाद में और ना ही हस्तगत अपील में विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का अपना अधिकार स्पष्ट कर पायें हैं। विवादित भूमि पर रैस्पो0 द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप वाद में अपील के कथन, शपथ पत्र एवं स्वयं रैस्पो0 के वाद का प्रतिरोध करने से स्पष्ट है। लिहाजा हम अपील स्वीकार योग्य समझते हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2010 निरस्त किये जाकर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह खसरा संख्या 1503 रकवा 4.14 है0 स्थित ग्राम नगला सिंघाडा तहसील बयाना में अपीलाण्ट/वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी में किसी प्रकार की बाधा या हस्तक्षेप नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official